रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 213] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 10, 1971/अग्रहायण 19, 1893

No. 213] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 10, 1971/AGRAHAYANA 19, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

15/3/72

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 10th December 1971

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the period April, 1971—March, 1972 (Amendment No. 42).*

No. 171-ITC(PN)/71.—Attention is invited to the import policy for registered exporters contained in the Import Trade Control Policy Book Vol. II for the period April, 1971—March, 1972 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44-ITC(PN)/71, dated 30th April, 1971.

2. In paragraph 68 of Part B of Section I of the aforesaid Policy Book it is laid down that applications for replenishment licences against export of Gem and Jewellery items are to be made by Registered Exporters only after the sale proceeds of export have been realised and surrendered to the Indian Exchange Control.

3. On review of the matter it has now been decided that in the case of exports of cut and polished diamonds on confirmed/out-right sale basis the Registered Exporters may apply for replenishment licence on the basis of proof of physical exports without waiting for realisation of the foreign exchange. The exporters should furnish the following documents alongwith their applications for replenishment licence:—

(i) Treasury Challan for Rs. 50/-.

(ii) Bank Certificate (in original) of exports issued by the Exporters' Bank as in Form No. 1 Annexure V of Section III of the aforesaid policy book.

(iii) Copy of Bill of Lading/Airway Bill duly attested by the Shipping Company/Airway Company (Postal receipt in the case of exports by post).

(iv) Copy of Shtipping Bill duly authenticated by Customs (Except in the case of exports by post or V.P.P.).

(v) Copy of involve duly attested by the negotiating Bank.

(vi) Copy of invoice duly attested by the Customs.

NOTE.—The attested invoices should clearly indicate that the exports were on confirmed/outright sale basis.

4. As in the case of other exports the exporters of cut and polished diamonds may also submit applications on monthly/two monthly/quarterly basis within a quarter as the case may be so as to reach the licensing authorities concerned within a period of 8 months from the end of the period of exports in question.

5. In view of the above decision, in respect of advance licences against export of cut and polished diamonds, as evidence of fulfilment of the export obligation and for the redemption of bond, the licensee will be required to submit the same documents as are to be produced for claiming replenishment licences against past exports as indicated above.

6. The relevant existing provisions contained in the aforesaid policy book as well as in the Import Trade Control Hand Book of Rules and Procedure, 1971 may be deemed to have been amended to the above extent.

7. The above decision will apply in respect of exports made with effect from 1st December, 1971.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1971

विषय : अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या : 42)

संख्या 171-आई०टी०सी० (पी०एन०)/71—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 44-आई टी सी (पीएन)/71, दिनांक 30-4-71 के] अन्तर्गत अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रैडबुक) के पा० 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. पूर्वोक्त नीति पुस्तक के खंड 1 के भाग बी की कंडिका 68 में यह निर्धारित किया गया है कि पंजीकृत निर्यातकों द्वारा रत्न तथा रत्नाभूषण मदों के निर्यात के बदले प्रतिपूर्ति लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र केवल तभी दिए जाने हैं जब निर्यात की बिक्री की रकम वसूल कर ली गई हो और भारतीय मुद्रा विनिमय नियंत्रण को समर्पित कर दी गई हो ।

3. मामले की पुनरीक्षा करने पर अब यह निश्चय किया गया है कि प्रमाणीकृत/एक दम बिक्री के आधार पर कटे हुए तथा परिष्कृत हीरों के निर्यातों के मामले में पंजीकृत निर्यातक विदेशी मुद्रा की वसूली के लिए प्रतीक्षा किए बिना प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए वास्तविक निर्यातकों के प्रमाण के आधार पर आवेदन कर सकते हैं । प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए अपने आवेदन-पत्र के साथ निर्यातकों को निम्न-लिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने चाहिएं :—

(1) 50 रुपये का राजकोष चालान ।

(2) निर्यातकों के बैंक द्वारा जारी किया गया निर्यातों का बैंक प्रमाण-पत्र (मूल), जैसाकि पूर्वोक्त नीति पुस्तक के खंड 3 के अनुबन्ध 5, प्रपत्र संख्या 1 में दिया गया है ।

(3) पोत परिवहन कम्पनी / वायुपरिवहन कम्पनी द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित लदान बिल / वायु परिवहन बिल की प्रति (डाक द्वारा निर्यातों के मामले में डाक विभाग की रसीद) ।

(4) सीमा शुल्क विभाग द्वारा विधिवत् प्रमाणीकृत पोत परिवहन की प्रति (डाक द्वारा या वी०पी०पी० द्वारा निर्यातों के मामले के अतिरिक्त)।

(5) परक्रामण बैंक द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित बीजक की प्रति।

(6) सीमाशुल्क विभाग द्वारा विधिवत् साक्ष्यांकित बीजक की प्रति।

टिप्पणी :—साक्ष्यांकित बीजकों में यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए कि निर्यात प्रमाणीकृत / एकदम बिक्री के आधार पर हुआ था।

4. अन्य निर्यातों के मामले में, कटे हुए तथा परिष्कृत हीरों के निर्यातक भी मासिक/द्विमासिक/त्रैमासिक आधार पर जैसा भी मामला हो, तीन महीनों के भीतर आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें जिससे कि वे आवेदन-पत्र विषयाधीन निर्यातों की अवधि समाप्त होने की तथि से 3 महीनों की अवधि के भीतर सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारी को पहुंच जाएं।

5. उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, कटे हुए तथा परिष्कृत हीरों के निर्यात के बदले अग्रिम लाइसेंसों के सम्बन्ध में, लाइसेंसधारी को निर्यात दायित्व के पूर्ण करने के प्रमाण के रूप में और बांड के छुटकारे के लिए ऐसे ही दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे जैसे उसे उपर्युक्त निर्दिष्ट भूत कालीन निर्यातों के बदले प्रतिपूर्ति लाइसेंस के लिए दावा करने के लिए प्रस्तुत किए जाने हैं।

6. पूर्वोक्त नीति पुस्तक और आयात व्यापार नियंत्रण नियम तथा क्रियाविधि हैंडबुक, 1971 में निहित सम्बन्धित वर्तमान व्यवस्थाओं को उपर्युक्तानुसार संशोधित किया गया समझा जाए।

7. उपर्युक्त निर्णय 1 दिसम्बर, 1971 से किए गए निर्यातों के सम्बन्ध में लागू होगा।

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the year April, 1971—March 1972, (Amendment No. 43).*

No. 172-ITC(PN)/71.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Vol. II of the Import Trade Control Policy Book for the period April, 1971—March, 1972, issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44-ITC(PN)/71, dated 30th April, 1971 as amended from time to time.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference.	Amendments.
1	2	3
231	G.2·2	The existing entry may be substituted by the following:—

1	2	3	4	5
G.2·2	Non-alcoholic beverage bases.		(a) Mixture of odoriferous substances (non-alcoholic.) (b) Essences containing spirit. (c) Natural essential oils including orange and lemon oil. (permissible items); (d) Citric acid; (e) Synthetic essential oils (25%) (f) Vanilla Beans (20 % (g) Gum Arabic.	The imported materia shall be used only for export production and shall not be disposed of locally to the bottlers or elsewhere. An undertaking to this effect shall accompany the import application.

3. The above amendments will be applicable in respect of exports of the product in question made on or after 1st April, 1971.

M. M. SEN,

Chief Controller of Imports & Exports.

विषय.—अप्रैल, 1971-मार्च, 1972 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन संख्या 43).

संख्या 172/आई०टी०सी० (पी०एन०)/71.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 44-आई टी सी (पी/एन) । 71 दिनांक 30-4-71 के अन्तर्गत अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रैडबुक) के वा० 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाए :—

रैडबुक (वा० 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
1	2	3
2.31	जी. 2.2	वर्तमान प्रविष्टि निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाए :—

1	2	3	4	5
जी. 2.2	आमादकीय पेय मूल.	4½ प्रतिशत	(क) सुगन्धियुक्त पदार्थों का मिश्रण (आमादकीय पेय) (ख) सत्त जिन में स्प्रिट हो । (ग) आरेन्ज तथा लेमन आयल सहित प्राकृतिक सुगन्धित तेल (स्वीकृत मदें) ; (घ) सिट्रिक एसिड (ङ) कृत्रिम सुगन्धित तेल (25 प्रतिशत)	आयातित माल का उपयोग केवल निर्यात उत्पादन के लिए ही किया जाएगा और इसका निपटान स्थानीय बोतल भरने वाले या और कहीं के लिए नहीं किया जाएगा । इसके लिए आयात आवेदन पत्र के साथ एक वचन-पत्र संलग्न करना होगा ।

1	2	3	4	5
			(च) वैनिला बीन्स (20 प्रतिशत)	
			(छ) अरबी गौंद ।	

3. उपर्युक्त संशोधन 1 अप्रैल, 1971 को या इसके बाद किए गए विषयाधीन उत्पाद के निर्यात के सम्बन्ध में लागू होंगे ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972